न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 76 / 2019

1 करणीराम पुत्र हुक्माराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी लक्ष्मणा का बास तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 नागरमल पुत्र पीथाराम।
2 परमेश्वर पुत्र नागरमल।
3 खेमचन्द पुत्र नागरमल।
4 हुक्माराम पुत्र पीथाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लक्ष्मणा का बास तहसील व जिला सीकर।
5 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 19.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर आवेदन बाबत निर्णय व डिक्री से भरा गया नामान्तकरण संख्या 98 ग्राम लक्ष्मणा का बास के निरस्त किये जाने के अनुक्रम में अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मूल दावा अनुवानी नागरमल आदि बनाम हुक्माराम आदि दावा संख्या 22 / 1993 अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 22/1993 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के खिलाफ एक वाद पत्र अनुवानी नागरमल आदि बनाम हुक्माराम आदि बाबत उद्घोषणार्थ, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसमें दोनों पक्षों ने राजीनामा किये जाने पर दिनांक 07.04.1993 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसकी अनुपालना में खाता विभाजन किया गया व नामान्तकरण संख्या 98 तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.1993 से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय डिक्री की अपील अदालत मातहत के समक्ष पेश की गयी जो स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री को खारिज किया गया व उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया तथा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु दिनांक 20.05.2000 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने माननीय राजस्व मण्डल

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसका दिनांक 24.01.2006 को निर्णय पारित करते हुये खारिज कर दी गयी, उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 4 हुक्माराम ने अपील पेश की जिसको भी दिनांक 03.11.2015 को खारिज फरमाये जाने पर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुये जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन पेश किया कि निर्णय व डिक्री से भरा गया नामान्तकरण संख्या 98 ग्राम लक्ष्मणा का बास को निरस्त किया जावें उक्त आवेदन में अधिनस्थ अदालत द्वारा गलत विवेचना कर दिनांक 12.07.2019 को यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि धारा 144 सीपीसी का आवेदन पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है जबकि अपीलांट को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जा चुका है उसके बाद ही आवेदन पेश किया गया है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत विवेचना कर विधि विरूद्व आदेश व निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा नागरमल व हुक्मा द्वारा प्रस्तुत बंटवारे का दावा दिनांक 07.04.1993 को डिक्री किया गया। इसकी अपील इस न्यायालय में हुई जो स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल में हुई जो खारिज की गई है। अत धारा 144 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किया जाना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में विधि विरूद्व आदेश पारित कर आवेदन खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (19) 2012 पेज 456, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1121 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 07.04.1993 को विवादित भूमियों की खातेदारी में अपीलांट करणीराम का नाम नही था। इस

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में करणीराम को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया है। अपीलांट का हित निहित नही होने से विचारण न्यायालय ने आवेदन खारिज करने में कोई भूल नही की है। विधि अनुसार धारा 144 का आवेदन प्रथक से प्रस्तुत करना होता है। अपीलांट ने इसके विपरित मूलवाद में ही आवेदन पेश किया है। जो विधि विरूद्व है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2004 (3) राजस्थान पेज 1926 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है उस निर्णय व डिक्री के निरस्त होने पर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल होना एक आदेशात्मक प्रकिया है। कानून से जिस डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये गये थे अगर वे डिक्री निरस्त की जा चुकी है तो फिर धारा 144 जा.दी. के तहत इन्द्राज को रिसटोरेट करना एक आज्ञापक प्रावधान है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के खिलाफ एक वाद पत्र अनुवानी नागरमल आदि बनाम हुक्माराम आदि बाबत उद्घोषणार्थ, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसमें दोनों पक्षों ने राजीनामा किये जाने पर दिनांक 07.04.1993 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसकी अनुपालना में खाता विभाजन किया गया व नामान्तकरण संख्या 98 तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.1993 से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय डिक्री की अपील अदालत मातहत के समक्ष पेश की गयी जो स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री को खारिज किया गया व उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया तथा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिये जाने हेतु दिनांक 20.05.2000 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसका दिनांक 24.01.2006 को निर्णय पारित करते हुये खारिज कर दी गयी, उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 4 हुक्माराम ने अपील पेश की जिसको भी दिनांक 03.11.2015 को खारिज फरमाये जाने पर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुये जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने पर अपीलांट ने एक आवेदन पेश किया कि निर्णय व डिक्री से भरा गया नामान्तकरण संख्या 98 ग्राम लक्ष्मणा का बास को निरस्त किया जावें उक्त आवेदन में अधिनस्थ अदालत द्वारा गलत विवेचना कर दिनांक 12.07.2019 को यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि धारा 144 सीपीसी का आवेदन पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है जबकि अपीलांट को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जा चुका है उसके बाद ही आवेदन पेश किया गया है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत विवेचना कर विधि विरूद्व आदेश व निर्णय पारित किया है।

जहां तक धारा 144 का प्रश्न है इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1121 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि" Code of Civil Procedure, 1908 - Sec. 144- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 88, 188&209 - Suit for declaration 1/2 share in the disputed arazi on the basis of the will - Land declared of joint khatedari of plaintiff Nos. 1&2 & ordered to delete the name of the defendants- Judgment set aside & application u/Sec. 144 C.P.C was allowed - RAA partly allowed the appeal & restored the order - order passed by the RAA is contarary to law- Decree passed by the SDO has already set aside therefore restoration of original position is mandatory - Held, Judgment passed by the RAA is set aside.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.1993 के आधार पर बने राजस्व रिकार्ड को हटाकर पूर्व की भांती राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड का प्रत्यास्थापन (Restitution) किये जाने का आदेश दिया जाता है। उभयपक्ष में वाद बाहुल्यता ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुये राजस्व रिकार्ड के प्रत्यास्थापन (Restitution) के उपरान्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राज[illegible]चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर